आवंटन,
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण–वितरण अधिकारी, उ0प्र0।
बुलन्दशहर, मैनपुरी, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, फर्रूखाबाद, इटावा, जौनपुर, बस्ती, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, अमेठी तथा सम्भल।

संख्या– 1/ 531 /2018–1/11/2018 : लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2019

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में सफाई कर्मचारियों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–14–पंचायतीराज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–28/2018/970/33–3–2018–100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू0 17,57,73,673/–**(रू0 सत्रह करोड़ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार छः सौ तिहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. प्राविधानित धनराशि को आवंटित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

11.कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

12.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

13.यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

14.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

15.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

16.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

17.कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

18.वर्ष 2018–19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 15–03–2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के **पृष्ठ संख्या–119** पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/531 /1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-07/03/2019

प्रेषण संख्या:- 1-531-2018-1-11-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 012-1-11-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
14 - पंचायती राज संस्थायें
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2388458 229717565	638500 17879261	0 5967047	3026958 253563873
2	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2884331 72047916	771998 5539274	40370 1842329	3696699 79429519
3	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5574756 240260973	0 18745881	0 7559983	5574756 266566837
4	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1465186 118964712	3134460 12366174	43800 3079125	4643446 134410011
5	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1266261 156968724	2517922 14868912	0 4867664	3784183 176705300
6	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	52420 135192427	1807448 12404415	3121685 6709555	4981553 154306397
7	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2491723 59117904	4248088 6963579	0 1748156	6739811 67829639
8	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2302725 551070780	4069018 52845485	30000000 46350154	36371743 650266419
9	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4677438 488521557	3338100 36615487	20000000 32734241	28015538 557871285
10	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1543705 154022004	11114643 21570320	0 4442167	12658348 180034491
11	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1291 343687875	318392 23821551	5724100 15181931	6043783 382691357
12	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6053351 216072467	1419698 16853383	10360750 16833767	17833799 249759617
13	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3031756 286496841	1959268 24301388	0 7834410	4991024 318632639
14	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2717243 188552442	372423 16894096	191284 5018497	3280950 210465035
15	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	549912 395258490	6639 29486470	4466898 14654687	5023449 439399647

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
16	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1853280 147633297	5074481 15044566	10222552 14094792	17150313 176772655
17	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7015626 131863589	465084 9350264	0 3351026	7480710 144564879
18	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3305716 129564452	1121396 9794050	49498 3410592	4476610 142769094
	योग	वर्तमान प्रगामी	49175178 4045014015	42377558 345344556	84220937 195680123	175773673 4586038694

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार छ: सौ तिहत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब अट्ठावन करोड़ साठ लाख अड़तीस हजार छ: सौ चौरानवे

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी